विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/850 दिनांक : 28/7/17

प्रति,

प्राचार्य,
एल्पाईन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
देवास रोड़, ग्राम–चंदेसरा, उज्जैन।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/38,दिनांक 03.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें निर्णय लिया गया कि,एल्पाईन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,उज्जैन,में सत्र 2017–18 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 में एम.बी.ए.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.बी.ए.	60 (पूर्वानुसार)

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. नवीन संस्करण की पुस्तकें पाठ्यक्रमानुसार क्रय किया जाना है।
03. प्रबंध से संबंधित जर्नल्स की सदस्यता प्राप्त किया जाना है।
04. संस्था स्तर पर स्वच्छता अभियान एवं सॉफ जन की पूर्ति करें।
05. संस्था में वर्कशॉप एवं सेमिनार का आयोजन किया जाना है।

उपरोक्त कमियों की पर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

(13)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/851 //2//

दिनांक : 28/7/17

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 132 दिनांक :- 5/6/17

-:: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- एल्पाईन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,उज्जैन।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एम.बी.ए.-द्वितीय वर्ष

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. पी.के. मिश्रा - आचार्य, व्यवसाय प्रबंध संस्थान,बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल।
02. डॉ. धमेन्द्र मेहता - उपाचार्य,पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ. उमेश सिंह - निदेशक,SOET, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ पात्रिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

/.2//

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 132 दिनांक :- 5/6/17

प्रतिलिपि :-

01 समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी.दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

02. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि संबंधित निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। यदि निरीक्षण नही कराते है तो,सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्ब हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

03. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अनिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करावें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग,के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।

04 कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)